न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 12/2018

उनवान

1 मैसर्स सेन्टर्ल कॉटन इण्डस्ट्रीज तस्वारिया तहसील हुरडा जरिये कारनून श्री पराग महेश चन्द्र खण्डेलवाल पुत्र श्री महेश चन्द्र खण्डेलवाल, निवासी तस्वारिया, तहसील हुरडा ।

–वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा, भीलवाडा

प्रतिवादी

उपस्थित :– श्री गोपाल लाल वैष्णव
पैरोकारराज तहसीलदार हुरडा ।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:निर्णय:–

दिनांक– 01.06.2018

1– वादी के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादी संस्थान ग्राम तस्वारिया तहसील हुरडा खाता संख्या– 60 साबिक खाता संख्या– 357 की आराजी नम्बर– 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1380, 1423 किता 7 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा भूमि वादी संस्थान के नाम दर्ज होकर वादी संस्थान रिकार्डेड काबिज काश्त है।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

2– उपरोक्त वर्णित आराजीयात में से आराजी नम्बर– 1380, 1423 किता 2 रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा में से कुल रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा को नगरपालिका गुलाबपुरा द्वारा कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिये भू– परिवर्तन कराते हुये कुल क्षैत्रफल 9776.8 वर्गगज को कृषि आधारित औधोगिक प्रयोजनार्थ भू परिवर्तन करा कर नियमानुसार नगर पालिका गुलाबपुरा द्वारा वादी संस्थान के नाम पट्टा विलेख जारी किया गया है।

3– संस्थान के द्वारा कृषि भूमि कय करने के समय संस्थान का प्रबन्धन/संचालन निदेशक मण्डल (BOARD OF DIRECTORS) के द्वारा किया जा रहा था जिसमें निम्न निदेशक कार्यरत थे।
क. श्रीमति दिव्या मिश्रा पत्नि श्री वरुण वाजपेयी निवासी तिलक नगर चेम्बर मुम्बई– 400089 महाराष्ट्र राज्य ।

Scanned by CamScanner

ख. खण्डेलवाल श्री उमाशंकर पुत्र श्री प्रभुदयाल महाजन निवासी इंचलकरणजी तालुका हातकणगले जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र राज्य।

ग. खण्डेलवाल श्री महेशचन्द्र पुत्र श्री प्रभुदयाल महाजन निवासी इंचलकरणजी तालुका हातकणगले जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र राज्य ।

उपरोक्त निदेशकगण द्वारा संस्थान का प्रबन्ध संचालन तत्कालीन समय में किया जा रहा था इस कारण राजस्व अभिलेख जमाबन्दी, नामान्तकरण पत्रावली व अन्य कागजात में संस्थान का नाम मैसर्स सेन्टर्ल कॉटन इण्डस्ट्रीज तस्वारियॉ तहसील हुरडा को जरिये डाइरेक्टर्स संबोधित किया गया।

4— संस्थान द्वारा दिनांक 21.03.2015 को संस्थान में कार्यरत डायरेक्टर श्रीमति दिव्या मिश्रा को बोर्ड आफ डायरेक्टर से रिटायर करते हुये दो नये साझेदार श्री पराग महेश चन्द्र खण्डेलवाल पुत्र श्री महेश चन्द्र खण्डेलवाल निवासी 6/695 शिव कुंज खंजरी माला इन्चलकरणजी महाराष्ट्र राज्य व श्रीमति पार्वती देवी खण्डेलवाल पत्नि श्री सत्यनारायण प्रभुदयाल खण्डेलवाल निवासी 6/295 शिव कुंज खंजरी माला इन्चलकरणजी महाराष्ट्र राज्य को संस्थान में साझेदार बनाते हुये एक साझेदारी विलेख दिनांक 26.06.2015 को सम्पादित किया तथा संस्थान का प्रबन्ध एवं संचालन साझेदार/पार्टनर श्री खण्डेलवाल श्री उमाशंकर पुत्र श्री प्रभुदयाल महाजन निवासी इंचलकरणजी तालुका हातकणगले जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र राज्य व खण्डेलवाल श्री महेशचन्द्र पुत्र श्री प्रभुदयाल महाजन निवासी इंचलकरणजी तालुका हातकरगले जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र राज्य उपरोक्त निदेशकगण द्वारा संस्थान का प्रबन्ध-संचालन तत्कालीन समय में किया जा रहा था इस कारण राजस्व अभिलेख जमाबन्दी, नामान्तकरण पत्रावली व अन्य कागजात में संस्थान का नाम मैसर्स सेन्टर्ल कॉटन इण्डस्ट्रीज तस्वारिया तहसील हुरडा को जरिये डाइरेक्टर्स संबोधित किया गया तथा श्री पराग महेश चन्द्र खण्डेलवाल पुत्र श्री महेश चन्द्र खण्डेलवाल निवासी 6/695 शिव कुंज खंजरी माला इन्चलकरणजी महाराष्ट्र राज्य व श्रीमति पार्वती देवी खण्डेलवाल पत्नि श्री सत्यनारायण प्रभुदयाल खण्डेलवाल निवासी 6/695 शिव कुंज खंजरी माला इंचलकरणजी महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया जा रहा है। दो पूर्ववर्ती पार्टनर्स श्री महेशचन्द्र खण्डेलवाल व उमाशंकर खण्डेलवाल उपरोक्त चारों पार्टनर्स ही वर्तमान में संस्थान में कार्यरत है।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

5— संस्थान का प्रबन्ध संचालन वर्तमान में साझेदारी संस्था द्वारा किया जा रहा है तथा संस्थान के राजस्व अभिलेख में संस्थान का संचालन जरिये डायरेक्टर्स लिखा गया है जिससे संस्थान को ऋण प्राप्त करने उद्योग विभाग राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार द्वारा समय समय पर दिये जाने वाले लाभ परिलाभ छुट आदि से वंचित होना पड रहा है इस कारण संस्थान द्वारा एक शुद्धि पत्र उप पंजीयक कार्यालय हुरडा में पंजीयन करवाना पडा ताकि संस्थान के समस्त दस्तावेजों में डायरेक्टर्स शब्द के बजाय साझेदार/पार्टनर शब्द संशोधित किया जा

Scanned by CamScanner

6– वादी अपने राजस्वं अभिलेख में डायरेक्टर्स शब्द के बजाय साझेदार/ पार्टनर शब्द संशोधित कराने हेतु विरुद्ध प्रतिवादी इन्द्राज दुरुस्ती करायी जाकर वाद पत्र की कलम नम्बर– 3 के अनुसार वर्तमान कार्यरत चारों ही साझेदारान / पार्टनर के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने की घोषणात्मक आज्ञाप्ति प्राप्त करने की अधिकारी है।

7– यदि संस्थान के नाम पर न्यायहित में राजस्व रिकार्ड में न्द्राज दुरुस्ती व घोषणात्मक आज्ञाप्ति पारित नही की गयी तो रिकार्ड में भारी विराधाभास होने से संस्थान के प्रबन्ध, संचालन व विकास में भारी कठिनाई का सामना करना पडेगा जिसकी पूर्ति कदापि सम्भव नही है।

8– अन्त में अंकित किया कि वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर घोषणात्मक डिक्री इस आशय की पारित फरमायी जावें कि वादी संस्थान मै0 सेन्टर्ल कॉटन इण्डस्ट्रीज तस्वारिया तहसील हुरडा का प्रबन्ध/संचालन वर्तमान में साझेदार/ पार्टनर श्री खण्डेलवाल श्री उमाशंकर पुत्र श्री प्रभुदयाल महाजन निवासी इच्चलकरणजी तालुका हातकरण्गले जिला कोल्हापुर महाराष्ट राज्य खण्डेलवाल श्री महेशचन्द्र पुत्र श्री प्रभुदयाल महाजन निवासी इच्छलकरणजी तालुका हातकणगले ज़िला कोल्हापुर महाराष्ट राज्य श्री पराग महेश चन्द्र खण्डेलवाल पुत्र श्री महेश चन्द्र खण्डेलवाल निवासी 6/695 शिव कुंज खंजरी माला इन्चलकरणजी महाराष्ट्र राज्य व श्रीमति पार्वती देवी खण्डेलवाल पत्नि श्री सत्यनारायण प्रभुदयाल खण्डेलवाल निवासी 6/695 शिव कुंज खंजरी माला इंचलंकरणजी महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया जा रहा है। इन्द्राज दुरुस्ती संस्थान वादी के हक में तमाम राजस्व अभिलेख में "डायरेक्टर्स" के बजाय पार्टनर/ साझेदार शब्द संशोधित किया जावें । माफिक न्यायालय डिक्री अनुसार प्रतिवादी को आदेशित फरमाया जावें कि वादी संस्थान के हक में राजस्व रिकार्ड में माफिक डिक्री अनुसार उचित अमल दरामद करें। अन्य दाद जो मुफिद वादी हो तथा न्यायालय वादी के हकों पर उचित व आवश्यक समझें न्यायालय द्वारा सादर प्रदान करायी जावें।

9– प्रस्तुत वाद पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी की और से पैरोकारराज उपस्थित हुये। जवाबदावा का अवसर चाहा गया।

10 तत्पश्चात पत्रावली आज केम्प कोर्ट तस्वारिया पर पेश हुई। वकील वादी व पैरोकारराज उपस्थित हुये। उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से उभयपक्ष की बहस को सूनी गयी। वक्त बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व अभिलेख में डायरेक्टर के बजाय पार्टनर/साझेदार अंकित करवाया जावें। उपस्थित पैरोकारराज ने इन्द्राज दुरुस्त किये जाने में कोई आपति नही होना जाहिर किया है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

11 मैनें उभयपक्ष को सुना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से है –

12 पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 मौजा तस्वारिया तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1380, 1423 किता 7 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा भूमि सेन्ट्रल कॉटन इण्डस्ट्री तस्वारिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा (राजस्थान) बजरिये डायरेक्टर्स (1) दिव्या मिश्रा पत्नि वरुण वाजपेयी निवासी तिलकनगर चेम्बूर मुम्बई 400089 (2) खण्डेलवाल उमाशंकर पिता प्रभुदयाल जाति महाजन नि. इचलकरंजी तालुका हातकणगले जिला कोल्हापुर (महाराष्ट्र) (3) खण्डेलवाल महेशचन्द पिता प्रभुदयाल जाति महाजन निवासी इचलकरंजी तालुका हातकणगले जिला कोल्हापुर (महाराष्ट्र) खातेदार दर्ज रिकार्ड होना तथा नामान्तकरण संख्या– 1810 दिनांक 17.06.2016 विक्रय से आराजी नम्बर– 1423 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा में से 03 बीघा 15 बिस्वा सेन्ट्रल कॉटन इण्डस्ट्रीज तस्वारिया तहसील हुरडा बजरिये डायरेक्टर्स दिव्या मिश्रा पत्नि वरुण वाजपेयी तिलक नगर मुम्बई, खण्डेलवाल उमाशंकर पिता प्रभुदयाल जाति महाजन इचलकरणजी तालुका हातकरणगले जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र खण्डेलवाल महेशचन्द्र पिता प्रभुदयाल जाति महाजन निवासी इचलकरणजी तालुका हातकरणगले जिला कोल्हापुर (महाराष्ट) के बजाय पराग पिता महेशचन्द्र खण्डेलवाल जाति महाजन साकिन इचलकरणजी तालुका हातकरणगले जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र के नाम दर्ज जिसके नये नम्बर 1423/1 होगें बाकी 1423 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा बदुस्तर रहेगा तथा नामान्तकरण संख्या– 1817 दिनांक 29.07.2016 सम्परिवर्तन से आराजी नम्बर– 1380 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर– 1423 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा किता 2 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा कृषि आधारित औधोगिक प्रयोजनार्थ नगर पालिका गुलाबपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

13 यहॉं वादी का कथन है कि उक्त भूमि क्रय करने के समय संस्थान का प्रबन्धन संचालन निर्देशक मण्डल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जा रहा था, जिसमें श्रीमति दीव्या, श्री उमाशंकर और महेश चन्द्र संस्थान का प्रबन्ध संचालन करते थे, संस्थान के द्वारा दिनांक 21.03.2015 को कार्यरत डायरेक्टर्स श्रीमति दिव्या मिश्रा को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिटायर करते हुये दो नये साझेदार श्री पराग पिता महेशचन्द्र व पार्वती देवी खण्डेलवाल को संस्थान में साझेदार बनाते हुये साझेदारी विलेख दिनांक 26.06.2015 को सम्पादित किया गया। इसलिये राजस्व अभिलेख में डायरेक्टर्स शब्द के बजाय साझेदार अंकित करवाया जावें। अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा शुद्धि पत्र एवं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जिला उघोग केन्द्र, जयपुर का मिनिटस बुक की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई। वादी के द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड शुद्धि पत्र दिनांक 02.05.2017 के अनुसार सेन्टल कॉटन इण्डस्ट्रीज तस्वारिया जरिये डायरेक्टर के द्वारा संचालित थी जिसे उक्त शुद्धि पत्र से पार्टनर/साझेदार के द्वारा संचालित किया जाना प्रकट आया

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व जमाबन्दी के अनुसार सेन्टल कॉटन इण्डस्ट्रीज तस्वारिया बजरिये डायरेक्टर्स अंकित किया गया है जिसे वादी डायरेक्टर के स्थान पर पार्टनर / साझेदार दर्ज करवाना चाहते है। पैरोकारराज को भी उक्त इन्द्राज दुरुस्त किये जाने में कोई आपति नही होना जाहिर किये जाने से दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

—: निर्णय :—

दावा वादी डिक्री किया जाकर मौजा तस्वारिया तहसील हुरडा की आराजी नम्बर— 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1380, 1423 किता 7 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा भूमि के खातेदार सेन्टल कॉटन इण्डस्ट्रीज तस्वारिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा राजस्थान बजरिये डायरेक्टर्स के स्थान पर सेन्टल कॉटन इण्डस्ट्रीज तस्वारिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा राजस्थान बजरिये पार्टनर / साझेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहे। तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट कानिया पर सूनाया गया ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner